प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं प्री नर्सिंग सेलेक्शन प्रवेश परीक्षा – 2016
(केवल महिला अभ्यार्थियों के लिये)

vkuykbu vkonu&i=	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 16.04.2016	भरने की अंतिम तिथि : 15.05.2016
में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 16.04.2016	में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 20.05.2016
परीक्षा दिनांक व दिन	19-06-2016 jfookj
ijh{kk 'kYd	
परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	:- 400@&
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	:- 200@&
ऑनलाईन आवेदन – पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क :- 70@& देय होगा।	

vkuykbu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
19.06.2016 रविवार	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	प्रातः 10:30 बजे	11:50 से 12:00 बजे तक (10 मिनट)	अपरान्ह 12:00 से 02:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	तृतीय	अपरान्ह 01:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

fVIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

3- vkuykbu vkonu&i= Øekd d }kjk gh fyf[kr ijh{kk gsrq vH;FkhZ viuk izos'k&i= izkIr dj ldrs gSA vr% vkonu&i= Øekd vko';d :i ls lEHkky dj j[ksa ftldh leLr@ftEenkjh vkond dh gh gksxhA

4- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है

5. मण्डल द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fox ykbZlsal] vkdlZph e; QksVksxzkQ] cSad iklcqd e; QksVksxzkQ rFkk iklikVZ eas ls dksbZ ,d vFkok vU; dks p;fur dj ldrk gS A bZ&vk/kkj ekU; ugha gS A

6- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

fo"k; lwph

l- Øe-	v/;k;	fooj.k	fu;e Øekad
1	1(अ)	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ के लिए विभागीय नियम	03—09
2	2	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	12—23
3	3	पाठ्यक्रम	24—25
4	4	आावश्यक प्रमाण—पत्रों के प्रारूप	26—34
5	प्रारूप—10	प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन	35
6	प्रारूप—11	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	36
7	प्रारूप—12	Predefined Template	37

अध्याय–1

GNTST - 2016

(GENERAL NURSING TRAINING SELECTION TEST)

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल महिला अभ्यार्थियों के लिये)

(स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति के लिये)

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

RULES FOR ADMISSION TO GENERAL NURSING TRAINING
IN SELECTED GOVERNMENT TRAINING CENTRES
(FOR APPOINTMENT AGAINST THE POST OF STAFF NURSES)

2016

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय–1

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु

चयन के लिए नियम 2016

1.1 सामान्य :

1.1.1 ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ''शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम'' कहलायेंगे।

1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

1.1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में –

1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
2. टेस्ट से तात्पर्य है General Nursing Training Selection Test (GNTST) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक स्वास्थ्य सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय।
4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गो के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।

1.2 सीटों का आरक्षण :

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गो के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट –''अ''– में दिया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिये 10 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रखा गया है। जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गो के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

टिप्पणी :–

(अ) विभिन्न आरक्षित वर्गो में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :– प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ–जहाँ प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय–4) देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :–

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता–पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक के नाम का शपथ–पत्र।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ–पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ–पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :–

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :–

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी:–

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

टिप्पणी :– मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

1.3.2 **शैक्षणिक अर्हता :–** जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग में प्रवेश हेतु उम्मीद्वार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम 40% अंको को लेकर उत्त्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10+2 की कक्षा 12वीं की भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम 40% अंको से उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

1.3.2.1 आशा कार्यकर्ता हेतु शैक्षणिक अर्हता 1.3.2 के समान होगी। साथ ही 5 वर्ष का सेवा अनुभव सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

1.3.2.2 **अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यार्थियों की पात्रता :–** प्रवेश परीक्षा में वे छात्राऐं भी सम्मिलित हो सकती है जो इस वर्ष 1.3.2 में वर्णित परिक्षाओं में सम्मिलित हो रही है। **पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु अपात्र होगें।**

1.3.3 **आयु सीमा :– अ.** 1 जुलाई 2016 को उम्मीद्वार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहियें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

ब. आशा कार्यकर्ताओं के लिये आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये आशा कार्यकर्ता की 1 जुलाई 2016 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये। आशा कार्यकर्ता के लिये आरक्षित सीटो में अधिकतम आयु सीमा (35 वर्ष) में छूट का कोई प्रावधान नही है।

1.3.4 **स्पष्टीकरण :–** आयु–सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण–पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रकियाः–

1.4.1 जनरल नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिग के प्रशिक्षण के चयन हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा जनरल नर्सिग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (जी.एन.टी.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्यता सूचियां श्रेणीवार एवं एम.पी.आनलाईन द्वारा आवंटित प्रशिक्षण केंद्रवार सूची उपलब्ध करायी जावेगी।

नोटः– अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउन्सिलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें।

1.4.2 इन चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होगें। सभी विषयों का मूल्यांकन अलग–अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी भाग के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी।

1.4.3 व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में आशा कार्यकर्ताओं के लिये न्यूनतम अर्हकारी 40 प्रतिशत अंको से उत्त्तीर्ण होना अनिवार्य है। आशा कार्यकर्ताओं की मेरिट सूची पृथक से वर्गवार (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) उपलब्ध कराई जावेगी।

1.4.4 **समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :–** समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित कम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर–निश्चित किया जावेगा। प्रथम–जीवविज्ञान, द्वितीय–रसायन, तृतीय–भौतिकी एवं चतुर्थ–अंग्रेजी।

1.4.5 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार योग्याताकम सूचियां बनायी जावेंगी।

1.5 प्रवेश प्रकिया :–

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीद्वारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रो में प्रवेश दिया जावेगा।

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु कुल सीटों में से आशा कार्यकर्ताओं के लिये 10 प्रतिशत आरक्षित की गई सीटो के विरूद्ध आशा कार्यकर्ता के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त सीट्स पर अन्य छात्राओं को आरक्षण अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

नोट – वर्ष 2016 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी। व्यापम द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने के एक सप्ताह

पश्चात् एम.पी.आनलाईन www.mp.online के माध्यम से छात्राओं को उनके द्वारा दिये विकल्प अनुसार मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा। एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित दिनांक 15 जुलाई 2016 तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। **निर्धारित तिथि 15 जुलाई 2016 को आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति देना अनिवार्य है।**

जो उम्मीदवार नियत तिथि 15 जुलाई 2016 को उपस्थित नहीं होगें, उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारो को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

दिनांक 15 जुलाई 2016 में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी दिनांक 16 जुलाई 2016 को स्वास्थ्य विभाग के वेब साईट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आनलाईन पर प्रकाशित की जावेगी।

दिनांक 15 जुलाई 2016 प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों के आधार पर प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवारों को एम.पी.आनलाईन के माध्यम से सीट आवंटित होने के उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्रो में दिनांक 20 जुलाई 2016 तक अपनी उपस्थिति देकर अभिलेखों का परीक्षण कराना होगा। रिक्त सीट उपलब्ध होने की स्थिति में उपयुक्त उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा। इसके पश्चात कोई काउन्सिलिंग नही होगी।

1.5.2 **प्रवेश के लिये प्रमाण–पत्रों की सूची :–** उम्मीद्वारों को जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्न मूल प्रमाण–पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप)) प्रत्येक की एक–एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।
5. जी.एन.टी.एस.टी. अंकसूची / प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।
6. आशा कार्यकर्ताओं के लिये 5 वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र।

टिप्पणीः–

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वार को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

(ii) प्रवेश हेतु उम्मीद्वार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय–एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है।

(iii) किसी भी उम्मीद्वार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.6 चयनोपरान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य :

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 **प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष अनिवार्य शासकीय सेवाः–**

तीन वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टाफ नर्स के पद पर मध्यप्रदेश में कहीं भी 3 वर्ष की शासकीय सेवा यदि शासन द्वारा दी जाये तो करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार

प्रशिक्षण का पूरा व्यय जो छात्रवृत्ति के रूप में देय है उम्मीद्वार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध–पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :–

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण–पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवायें का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :–

उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :–

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :–

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट–'स' में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :–

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप इन्हें विभाग की आवश्यतानुसार स्टॉफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा अन्यथा बॉण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1/ आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट – द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 1040 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:–

<u>सीधी भर्ती हेतु जी.एन.टी.एस.टी. की सीटो का विवरण</u>

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल रिक्त सीटों की संख्या	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज. जा.	अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7
1.	हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल	27	14	4	5	4
2.	एम.वाय. अस्पताल, मेडिकल कालेज, सिविल लाईन इन्दौर	33	16	5	7	5
3.	जे. ए. अस्पताल, ग्वालियर	33	16	5	7	5
4.	मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर	37	19	6	7	5
5.	जी. एम. अस्पताल, मेडिकल कालेज, रीवा	26	13	4	5	4
6.	जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा	48	23	8	10	7
7.	जिला चिकित्सालय, खण्डवा	48	23	8	10	7
8.	जिला चिकित्सालय, सागर	48	23	8	10	7
9.	जिला चिकित्सालय, रतलाम	48	23	8	10	7
10	जी.एन.एम. सतना	48	23	8	10	7
11	जी.एन.एम. रायसेन	48	23	8	10	7
12	जी.एन.एम. झाबुआ	48	23	8	10	7
13	जी.एन.एम. सीधी	48	23	8	10	7
14	जी.एन.एम. राजगढ़	48	23	8	10	7
15	जी.एन.एम. विदिशा	48	23	8	10	7
16	जी.एन.एम. दतिया	48	23	8	10	7
17	जी.एन.एम. देवास	48	23	8	10	7
18	जी.एन.एम. मंदसौर	48	23	8	10	7
19	जी.एन.एम. नरसिंहपुर	48	23	8	10	7
20	जी.एन.एम. सिवनी	48	23	8	10	7
21	जी.एन.एम. बालाघाट	48	23	8	10	7
योग		924	446	152	191	135

परिशिष्ट –ब

जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु आशा कार्यकर्ताओं से भरी जाने वाली सीटो का विवरण

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुल रिक्त सीटों की संख्या	अनारक्षित (आशा)	अनु.जा. (आशा)	अनु.ज. जा. (आशा)	अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर (आशा)
1	2	3	4	5	6	7
1.	हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल	4	2	1	1	0
2.	एम.वाय. अस्पताल, मेडिकल कालेज, सिविल लाईन इन्दौर	4	3	1	0	0
3.	जे. ए. अस्पताल, ग्वालियर	4	3	1	0	0
4.	मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर	5	2	1	1	1
5.	जी. एम. अस्पताल, मेडिकल कालेज, रीवा	3	1	1	1	0
6.	जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा	6	3	1	1	1
7.	जिला चिकित्सालय, खण्डवा	6	3	1	1	1
8.	जिला चिकित्सालय, सागर	6	3	1	1	1
9.	जिला चिकित्सालय, रतलाम	6	3	1	1	1
10	जी.एन.एम. सतना	6	3	1	1	1
11	जी.एन.एम. रायसेन	6	3	1	1	1
12	जी.एन.एम. झाबुआ	6	3	1	1	1
13	जी.एन.एम. सीधी	6	3	1	1	1
14	जी.एन.एम. राजगढ़	6	3	1	1	1
15	जी.एन.एम. विदिशा	6	3	1	1	1
16	जी.एन.एम. दतिया	6	3	1	1	1
17	जी.एन.एम. देवास	6	3	1	1	1
18	जी.एन.एम. मंदसौर	6	3	1	1	1
19	जी.एन.एम. नरसिंहपुर	6	3	1	1	1
20	जी.एन.एम. सिवनी	6	3	1	1	1
21	जी.एन.एम. बालाघाट	6	3	1	1	1
योग		116	59	21	19	17

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष (6 माह की इंर्टनशिप के साथ) की होगी।
2. जी.एन.एम. प्रशिक्षण के **पाठ्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी** होगा ।
3. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
5. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
6. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि. –3/94/1588/1601, दिनांक 7–5–1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
7. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
10. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता–पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
11. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को तीन वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
12. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
13. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
14. छात्राओं को बाहर आने–जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
15. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
16. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
17. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
18. छात्राओं द्वारा 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का बॉण्ड भरना अनिवार्य है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

PNST – 2016

PRE NURSING SELECTION TEST – 2016
(B.Sc.NURSING SELECTION TEST)

FOR Female ONLY

केवल महिला अभ्यर्थी के लिये बी.एस.सी.नर्सिंग में प्रवेश हेतु
उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम
मध्यप्रदेश शासन
चयन नियम

RULES FOR SELCTION

SELECTION OF CANDIATES FOR ADMISSION TO B.Sc.NURSING

(4 YEARS COURSE) TO GOVERNMENT NURSING COLLEGES

2016

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
&
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION
GOVT.OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय–1

बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम – 2016

1.1 सामान्य :

1.1 ये नियम राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के ''शासकीय बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम'' कहलायेंगे ।

1.3.1 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं ।

1.3.2 परिभाषाएं :
इन नियमों में –

1. राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन ।
2. टेस्ट से तात्पर्य है Pre-Nursing (B.Sc.Nursing) Selection Test (PNST) प्री नर्सिंग चयन परीक्षा ।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा शिक्षा सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय ।
4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गों के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है ।

1.2 सीटों का आरक्षण :

बी.एस.सी.नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गो के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट – ''अ'' – में दिया गया है ।

टिप्पणी :–

(अ) विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है ।

(ब) जिस आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधीत प्रमाण पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । (जी. एन.टी. में उपयोग किये गये प्रारूप की छायाप्रति संलग्न है)

नोट :– प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहॉ–जहॉ प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय–4) देखें ।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग – ऐससा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगें :–

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता–पिता दोनों न हों तब वैद्य अभिभावक का नाम का शपथ–पत्र ।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ–पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ–पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसने प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा ।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है तो उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :–

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :–

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी :–

1. जो भारत का नागरिक हो ।

2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

टिप्पणी :– मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण :– विकलांग उम्मीदवारों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश के नियमानुसार लागू होगा।

1.3.2 शैक्षणिक अर्हता :– बी.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी ।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी ।

1.3.2.1 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता :– प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष 1.3.2 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहीं है । पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी ।

1.3.2.2 आयु सीमा :– 1 जुलाई 2016 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिये । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी ।

1.3.3 स्पष्टीकरण :– आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा । अन्य दस्तावेजों को प्रमाण–पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा ।

1.4 चयन प्रक्रिया :–

1.4.1 बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु व्यवसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा बी.एस.सी.नर्सिंग चयन परीक्षा (प्री.नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट) आयोजित की जावेगी । मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां वर्गवार उपलब्ध करायी जावेगी ।

नोट :– अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/पतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउन्सिलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें ।

1.4.2 इस चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंकों का प्रावधान नहीं रखा गया है । प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होगें । सभी विषयों का मूल्यांकन अलग–अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा । मेरिट सूची अंगेजी भाग के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी ।

1.4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :– समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर–निश्चित किया जावेगा । प्रथम–जीवविज्ञान, द्वितीय–रसायन, तृतीय–भौतिकी एवं चतुर्थ–अंग्रेजी ।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेंगी ।

प्रवेश प्रक्रिया :–

1.5.1(अ) मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीद्वारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा । प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी.आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा । मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जावेगा ।

नोट – वर्ष 2016 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी । एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक 05.07.2016 को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा । उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा । मूल प्रमाण–पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा । समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा । आवंटित नर्सिग महाविद्यालय में उपस्थिति देने की तिथि 05.07.2016 निर्धारित है ।

1.5.1(ब) चिकित्सा शिक्षा विभाग :– व्यापम द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम कर वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा । चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्त शासकीय नर्सिग महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा प्रवेश हेतु काउंसिलिंग अलग से आयोजित की जायेगी एवं पी.एन.एस.टी. मेरिट क्रमानुसार प्रवेश दिया जावेगा । कांउसलिंग हेतु तिथि एवं प्रक्रिया की विज्ञप्ति पृथक से समाचार पत्रों में जारी की जावेगी ।

1.5.2 प्रवेश के लिये प्रमाण–पत्रों की सूची :– उम्मीदवारों को बी.एस.सी.नर्सिग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्रों को साथ में लाना अनिवार्य है । किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा ।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवी की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइस बायो ग्रुप) प्रत्येक की एक–एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची ।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें ।
3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति ।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण–पत्र । गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी ।

टिप्पणी :–

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा ।

(ii) काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीद्वार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय–एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों ।

(iii) किसी भी उम्मीद्वार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा ।

1.6 प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा :–

सभी चयनित 120 उम्मीद्वारों को नर्सिंग कॉलेज में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ–नर्स के पद पर म.प्र. में कहीं भी 7 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीद्वार से वसूल किया जाएगा । अनुबंध–पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग :– प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा :–

सभी चयनित 50 उम्मीदवारों को नर्सिग कॉलेज में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ–नर्स के पद पर म.प्र. में कहीं भी 7 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीद्वार से वसूल किया जाएगा । अनुबंध–पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :–

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, संस्थागत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मद्वारों को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा । प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा ।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को:–
उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा । यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretaiton) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों/प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :–
राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है । इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :–
बी.एस.सी.नर्सिग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट–'ब' में दिये गये हैं ।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग) :–

बी.एस.सी.नर्सिग प्रशिक्षण सफलतापूर्व प्राप्त करने के फलस्वरूप रूपये 5200–20200+2800 (शासन द्वारा समय–समय पर परिवर्तित वेतनमान) में स्टाफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी । प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

मध्यप्रदेश शासन् सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1/आर.प्रा., दिनांक 08 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट–'द'(11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जानेवाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 120+50 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा :–

नोट :– आवंटन के पश्चात् कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

शासकीय नर्सिंग कालेज के सीटों का विवरण

क्र.	कॉलेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट	ओपन केटेगरी	अनारक्षित वर्ग		
			अनारक्षित (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जनजाति (महिला) (20%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (14%)
1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी एल्गिन अस्पताल के पास, जबलपुर	60	30	10	12	8
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, उज्जैन जिला चिकित्सालय के पास, उज्जैन	60	30	10	12	8
	योग	**120**	**60**	**20**	**24**	**16**

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सी.आर.पी.लाईन, म.य.चिकित्सालय के पास, इन्दौर के सीटों का विवरण

क्र.	कॉलेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट	ओपन केटेगरी	अनारक्षित वर्ग		
			अनारक्षित (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जनजाति (महिला) (20%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (14%)
1	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सी. आर.पी.लाईन, इन्दौर म.य. चिकित्सालय के पास, इन्दौर (म.प्र.शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सन् 1960से कार्यरत)	50	25''	**8**	**10**	**7**
	योग	**50**	**25**	**8**	**10**	**7**

नोटः–

1. ''चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्त शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में अनारक्षित श्रेणी की 25 सीटों में से 1 सीट स्वतंत्रता संग्राम सैनानी एवं भूतपूर्व सैनिक की होगी
2. शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में 50 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की विज्ञप्ति समाचार–पत्रों में अलग से जारी की जावेगी ।

बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

01. बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी ।

02. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा ।

03. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी ।

04. प्रत्येक वर्ष के पश्चात केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा । आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन करना होगा ।

05. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.–3/94/1588/1601 दिनांक 7–5–1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा ।

06. छात्राओं को कार्य पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

07. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

08. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है ।

09. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता–पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी ।

10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बडे त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी । परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र पशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा ।

11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोलकाल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा ।

12. छात्राओं को बाहर आने–जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्या की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा ।

14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है ।

15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा ।

16. छात्राओं द्वारा रू.2 लाख का अनुबंध (बाण्ड) भरना अनिवार्य है । (शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध (बाण्ड) भरना होगा)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु :–

17. भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार छात्राओं को कक्षा में शैक्षणिक सत्र के दौरान 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा ।

18. अवर सचिव म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–2–63/03/55/चि.शि./1 भोपाल दिनांक 06.04.2004 के अनुसार कांउसिलिंग में उपस्थित

होने के समय अनिवार्य रूप से रूपये 32500/- (रूपये बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) का सी.ई.ओ., ऑटोनोमस सोसायटी, शा. नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर के नाम से देय किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ लेकर आवें (शिक्षण शुल्क रू. 25000/- प्रतिवर्ष, रूपये 1000/- कम्प्यूटर फीस एक बार एवं रूपये 6000/- होस्टल फीस प्रतिवर्ष एवं रूपये 500/- कॉशन मनी एक बार (रिफण्डेबल)।

19. शासन नियमानुसार नवीन प्रवेश प्राप्त (एस.टी./एस.सी. एवं ओ.बी.सी.) छात्राओं को आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला इन्दौर द्वारा छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क एवं प्रशिक्षण शुल्क आय प्रमाण–पत्र के आधार पर वापस कर दी जाती है एवं अन्य छात्राओं (सामान्य वर्ग की छात्राओं) को शासन नियमानुसार प्रतिमाह रू.3500/- स्टायफण्ड प्रदाय किया जाएगा ।

20. शासन नियमानुसार शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में प्रवेश प्राप्त अनुबंधित छात्राओं को शासकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स पद रिक्त होने स्थिति में शासकीय नौकरी प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी ।

अध्याय – 2

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के परीक्षा संचालन के निर्देश

[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iii) inks@lhV'l dh l[;k esa vko';drkuqlkj deh ;k of) dh tk ldrh gSA

2-2 (i) <u>आवेदक के पास विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हकारी योग्यता प्रवेश लेते समय अनिवार्य रूप से होने चाहिये</u> ।

(ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

2-3 ijh{kk gky esa yk;s tkus gsrq vko';d lkexzh %&

(i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। bZ&vk/kkj ekU; ugha gSA

(iii) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई.डी. के रूप में आवेदन पत्र में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator,Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and Whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 fyf[kr ijh{kk esa fu%'kDrtu vH;fFkZ;ksa ds fy, miyC/k lqfo/kk,¡ %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 तथा म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पत्र क्र./म.प्र. व्यापम/प–1/5363/2011 दिनांक 11.11.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :–

(i) ;g lqfo/kk fuEufyf[kr vH;fFkZ;ksa dks iznku dh tkosxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) y[ku fyfid dh lfo/kk %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) y[ku fyfid dh fu;fDr grq 'krsZ %&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का हो ।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

3- निःशक्तजन अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के 15 दिवस पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों की प्रमाणित फोटाप्रतिया संलग्न करते हुए अपना लिखित आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में डाक से प्रेषित किया जाना होगा । इसके पश्चात प्राप्त आवेदनो पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।

(iv) bl d vfrfjDr inrk; dh tkus okyh lfo/kk,¡ %&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाऍं मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2-6 io'k&i= ikIr djus dh izfØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-7 ijh{kk io'k&i= **(Test Admit Card) :-**

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iv) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2-8 eY;kdu i)fr %&

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-9 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cny e fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

(ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>mnkgj.k 01</u> :–यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \text{ x } 100}{(100-2)} = 91.83 \quad \text{rounded off to } 92.00$$

<u>mnkgj.k 02</u> :–यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \text{ x} 150}{(150-2)} = 141.89 \text{ rounded off to } 142.00$$

<u>mnkgj.k 03</u> :–यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार

होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \text{ rounded off to } 192.00$$

ukV %& सभी गणना को दो दशमलव तक राउंड ऑफ किया जायेगा।

2-10 i:'uifLrdk d: i:'uk d: lc/k e: vH;konu %&

(i) प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-11 vufpr lk/ku ¼**Unfair means, UFM**½ %&

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

(xii) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे।

(xiii) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी का प्रवेश/नियुक्ति

निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xiv) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है।

(xv) परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्त पाया जाना ।

(xvi) आफलाईन परीक्षा पद्धती में आवेदक द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर शीट में पेसिंल से उत्तर अंकित किये जाना ।

(xvii) अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य (उपरोक्त के अतिरिक्त) को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाना ।

(xviii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई कार्य, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

(xix) अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर उसे पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(xx) व्हाईटनर अथवा पेन्सिल उपयोग ओ.एम.आर. उत्तरशीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को परीक्षण उपरांत यू.एफ.एम. प्रकरण मान्य करते हुए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम बोर्ड स्तर से समाप्त की जावेगी।

2-12 ijh{kk ifj.kke dk i`dk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.inपर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-13 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-14 i`kQs'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ] Hkksiky dk dk;Z iwoZ'k@Hkrh@ik=rk ijh{kkvksa dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव अथवा नियमावली में आरक्षण/पाठ्यक्रम/आयु निर्धारण/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/निःशक्तजन/रोस्टर संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चत करने का दायित्व संबधित विभाग का रहेगा ।

(iv) vfre :i ls ijh{kk ifj.kke ?kksf"kr gksus dh fnukad ls N% ekg i'pkr ijh{kk ls lacaf/kr vfHkys[k u"V dj fn, tk;saxsA

2-15 U;kf;d {ks=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k.M&c

2.16 vkuykbu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkost dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप–12 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-17 vkuykbu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus laca/kh funsZ'k%&

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप–12 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kapokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

(xi) fu'kDrtu vH;FkhZ tks gLrk{kj djus esa vleFkZ gSa os vH;FkhZ viuk vxwBk dk fu'kku yxk ldrs gSA

2-18 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार पर कियोस्कधारक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जायेगा।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि तक (मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान) निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-19 vkWuykbZu vkosnu Hkjus ds lac/k esa funsZ'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] isudkMZ] vk/kkj dkMZ] MªkbZfoax ykbZlsal] vkbZlsph e; QksVksxzkQ] cSad iklcqd e; QksVksxzkQ rFkk ikliksVZ dk isa/kku j[kk x;k gSA

(iii) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dk uke lkFk gh bldh tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA

(iv) vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(vi) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा ।

2-20 vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की osclkbZV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कोई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-21 vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gSa%&

¼v½ bUVjusV dSQs }kjk ¼D;kLd½ ¼c½ Lo;a ds dEI;wVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत
Application क्लिक कर
Vyapam लिंक में
प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funsZ'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर .jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

¼v½ ØsfMV@MsfcV dkMZ ¼c½ bUVjusV cSafdax

2-22 ØsfMV@MsfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-23 bUVjusV cSafdax ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि तक (मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान) निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-25 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkWuykbZu vkosnu i= esa la'kks/ku dh O;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि से लेकर अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को **Vital Field** vFkkZr~ uke] firk@ekrk@ifr ds uke esa fdlh Hkh izdkj dk la'kks/ku ugh fd;k tk ldsxk, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । इस संदर्भ में अभ्यर्थी के किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया और न ही उनके आवेदन का प्रतिउत्तर दिया जायेगा ।

2-26 ,d ls vf/kd vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus lEca/kh funsZ'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग

इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-27 vkWuykbZu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा, तथा अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

(iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-28 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-30 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

[k.M&I

2-31 vkonu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
16.04.2016	15.05.2016	30	16.04.2016	20.05.2016	35

2-32 fyf[kr ijh{kk dk fooj.k

1.	जी.एन.टी.एस.टी. / पी.एन.एस.टी. –2016	19.06.2016	रविवार	प्रथम	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	02 घंटे	150
2.				द्वितीय	अपरान्ह 12:00 से 02:00 तक	02 घंटे	150
3.				तृतीय	सायं 03:00 से 05:00 तक	02 घंटे	150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे।

2-33 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	(म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)		सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
			अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये		
01-	,d	400/–	200/–	200/–	fujad	70@&

(ii) l'kks/ku fd;s tkus ij ns; 'kqYd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर	
		शुल्क	पोर्टल शुल्क
01-	,d	100/–	50/–

2-34 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

vkuykbZu ijh{kk dsUnz	
1. भोपाल	2. ग्वालियर
3. इन्दौर	4. जबलपुर

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i.kkyh d lc/k e funi'k

3-35

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) व्यापम की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) व्यापम कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) व्यापम की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) ई–आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय – 3

जी.एन.टी.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. – 2016

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

1. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S.I, Units, Motion in two dimensions cases of uniform velocity and uniform acceleration, general relation among position and velocity, uniform circular motion, force and inertia.Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy.

Static and kinetic friction, work energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservations to its kinetic energy, Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis.(moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation,universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats and constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling.

Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. Wave motion, principle of superposition, progressive and stationery waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, interference, young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra. The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for and electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.
Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, mass energy relation, fissions, X- ray, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction as a rectifier. Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration maganetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Guass's law in a simplegeometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacities in series and parallel, energy of a capacitor.Electric current, Ohm's law, Kirchhoffs laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheat stone bridge, potentiometer. Measurement of voltage as currents. Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity Blot Savart law, magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field(Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvonometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faradays law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementrary idea if dynamo and transformer.

2. <u>CHEMISTRY :</u>

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY
Structure of atom: constitutions of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitatis.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation(sp): hydrogen bond: shapes of molecules(VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT a MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non- ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radi, imperfections(point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nucleus reaction, disintegration series artificial transmutation: isotopes and their uses:radiocarbon dating.

Chemical equillibrium: chemical equillibrium, law of mass action: Kp and Kc: Le Chatelier principle and its applications. Ionic equilibrium in solutions, solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: PH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: instrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of themodynamics: energy free energy: spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of a reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion- electron methods. Electrolytic conduction, Faraday's law: voltaic cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, catalysis types and characteristics.

<u>INOGRANIC CHEMISTRY</u>:
Principle and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties. Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electro negativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements 1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases. Transition

metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

Co-ordination compounds: simple nomenclature, bounding and stability, classification and bonding in organometallics. Chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic quilitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

<u>ORGANIC CHEMISTRY:</u>
Calculations of empirical and molecular formula of organic compounds, menclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkanes and benzene. Preparation properties and uses of alkynes, alkynes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of heloalkanes, halobenzenes,alcohols and phenols: general ideas of some polyhalogen compounds vizdicholorothanes dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of elhers aldehydes, ketones,corboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

<u>3. BOTANY :</u>
Structure organisation of cell, cell theory . Light and electron microscopic view of cells. structure and functions of cell organalles : nucleous mitochondria , Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome,
micro bodies, microfilaments ribonsomes. Centrioles and plasmids, Eukaryotic chromosome (morphology) cell and plasma membrane. Difference between cell and animal division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's law of inheritance, monohyobrid and dihybrid cross; linage and crossing over of genetic material DNA relication, genetic code transcription, translation and gene regultion.

Difference between prokaryote and eukaryotes: structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, cynobacteria (Nostoc) and bacteria.

Five kingdom classification binomial nomenclature: external morophology and life cycle of spirogyra mucor, funaria selaginella and pinus .

Elementary knowledge of microsporogenesis, megasporongenesis. Fertilization endosperm and embroyo development in angiosperms.Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, mineral nutrition essential elements and their functions: uptake of minerals transport of water and solutes.

Transpiration photosynthesis and respiration: importance, mechanism and factors affecting these processess: photorespiration. Enzymes and growth hormones with reference to their classification, chemical nature, mode of action importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - structure and function, major ecosystems i.e lake and forest; food chain., food web and energy flow, ecological crises role of man in polluting environment - air water and soil.

Role of plants in human welfare: a general knowledge of plant products of economic value drugs, fibers, cereals.

Wheat and rice, pulses(gram), oil seeds(ground nut), sugarcane, coal and petroleum, Food preservation methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops, biotechnology, scope and importance in agriculture and industriesmanufacture of cheese. Yoghurt alcohol antibiotics.

ZOOLOGY :

MULTICELLULARITY- STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:
- Structure and function of animal tissues epithelial, connective muscular, skeletal and nerve.
- Histology of mammalian organs - stomach, intestine, liver, kidney, lung, testes and ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of human body. Skin, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, reproductive system.
- Skeleton, joints, muscles on the basic of movement receptors.
- Endocrine system with special reference to various endocrine glands of man and hormonal co ordination.
- Vitamins and minerals (source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycle in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, fertilization, types of cleavage and blastula, development of mammals upto three garminal layers. Foetal membrane structure and functions in mammals.
- Growth, repair, ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, types of chromosome, human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, hormonal, chromosomal and genic balance theory of sex determination, sex linkage and sex linked inheritance in man, blood group and their significance, blood bank.
- Tissue culture, genetic engineering(brief idea), mutation gene mutation.
- Human population natality mortality, sex ratio population, explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification- bionomial and trinomial nomenclature, basic features of classification, classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.
- Origin of life, theories of organic evolution- Darwin, Lamarck, synthetic evidence of organic evolution, human evolution.
- Economic zoology/sericulture, apiculture, lac culture, poultry, fishery and pearl industry.
- Protozaon disease in relation to man, insect carrying diseases in relation to man.
- Cancer types of cancer and cancer cell communicable diseases (Hepatitis, AIDS) . STD, immune response, vaccines and antisera
allergies.
- Smoking, alcoholism and drug addition, symptoms and control.
- Wild conservation.
- Pesticides - users, advantages and hazards.

4. GENERAL ENGLISH

1. Reading Comprehension

2. Vocabulary items inculding synonyms and antonyms, word formation, Prefixes, Suffixes.
3. Grammar and usage :
(a) Articles and determiners.
(b) Agreement between the subject and the verb.
(c) Time and tenses.
(d) Prepositions and phrasal verbs.
(e) Auxiliaries including modals.
4. Transformation of sentences.
(a) Voices : active and passive.
(b) Narration : direct and indirect.
(c) Degrees if comparison
(d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative.
5. Common errors.
6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

<u>अध्याय – 4</u>

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र – 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ–पत्र

(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम : ....

पिता का नाम : ....

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम : ....

धर्म : ....

व्यवसाय : ....

पता : ....

....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :–

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला ....के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी :– जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र – 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ....जिला.. मध्यप्रदेश
पुस्तक कमांक ....
प्रमाण–पत्र कमांक........................ प्रकरण कमाक.....................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम.................................. निवासी ग्राम/नगर ....वि. खं..............................तहसील.... ....जिला..संभाग...जाति /जनजाति..का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचिज जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम.. ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।.

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं.

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक ....

(सील)

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अथ है संविधान के अनुच्छेद 342 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण–पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक /अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र केआधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर।

प्रपत्र – 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .... आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला/संभाग ....मध्यप्रदेश के निवासी है जो ....जाति ....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री.. (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–7–16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमाक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक...

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

(सील)

प्रपत्र – 4 :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम) .... श्री / कुमारी ....के पिता / माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील जिला .... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रपत्र – 5 :

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... आत्मजा पत्नी श्री ....ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या ....(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालय सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 6
वास्तविक निवासी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... आत्मजा / पत्नी / श्री / श्रीमती .... जो तहसील ....जिला.............................. मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक / वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा / रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त –

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं / बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान ....

....

दिनांक ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

टिप्पणी :– जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र – 7 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... श्री / श्रीमती..का / की / पुत्री है।

(क) जो .... विभाग में ....पर ... . (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख / सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... श्री / श्रीमती..का / की / पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन / सार्वजनिक उपक्रम का / की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर...................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... श्री / श्रीमती..का / की / पुत्री है, जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन / मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर...................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रारूप—10
(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न—पत्र में निम्नलिखित प्रश्न / उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :—

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक / उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...............................
आवेदक का नाम.................................

स्थान ....
दिनांक ....

प्रारूप–11
(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..

आवेदक का नाम एवं पता..............................

....

....

दूरभाष क्रमांक...

दिनांक ....

Professional Examination Board
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4” x 5” cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3

lgefr iek.k&i=

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन एवं प्री नर्सिंग सेलेक्शन प्रवेश परीक्षा – 2016 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय–1 से 4 तक में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण–पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :..

पदनाम :..

सील :..

मोबाईल न. :...

ई–मेलः..